APP-A
Crim-I

FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा

जुम्मन पिता नबी बक्ष मुसलमान बनाम ईमामूदीन पिता नबी बक्ष
निवासी– सजनाबाद निवासी– गांधीनगर (भीलवाडा)

किस्म मुकदमा– वाद पत्र अन्तर्गतग धारा – 188 रा.टी. ए.

प्रकरण संख्या– 285/2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[redacted].2018	पत्रावली आज लोग अदालत में पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील वादी उभयपक्ष की प्रकरण में अंतिम बहस सूने जाने पर अपनी सहमति व्यक्त करने से वकील उभयपक्ष की बहस सूनी गई। वक्त बहस वकील वादी का कथन था कि वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या– 1 से 11 के नाम सामलाती दर्ज है। विपक्षी नम्बर– 1 के दिल में बदनियती आ जाने के कारण गलत एवं अवैध रुप से बिना विभाजन कराये ही आराजी नम्बर– 711, 713, 714 का अन्य अजनबी व्यक्ति प्रतिवादी नम्बर– 12 को विक्रय कर दिया जो गलत होकर विधि विरुद्ध है। प्रतिवादी नम्बर– 12 गलत एवं विधि विरुद्ध कराये गये विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 18.09.2014 को उक्त विवादित आराजीयात पर आया एवं वादी को धमकी दी की तुम्हें इस आराजीयात से बेदखल कर कब्जा करुगां। मैंने इस आराजीयात को इमूमीदीन से खरीद ली है। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या– 12 को उक्त कृत्य नही करने बाबत कहा तो वह लडाई झगडा करने एवं मरने मारने पर आमादा हुयें। प्रतिवादी का उक्त कृत्य सरासर गलत होकर विधि विरुद्ध है जिन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। जबकि प्रतिवादी का कथन था कि प्रतिवादी संख्या–1 आराजी मुतदाविया के खातेदार है, और खातेदार के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती, इसलिये दावा वादी खारिज फरमाया जावें । जवाब बहस में वकील वादी का कथन था कि प्रतिवादी संख्या– 12 आराजी मुतदाविया के खातेदार नही है इसलिये दावा वादी स्वीकार फरमाया जावें। मैंनें वकील उभयपक्ष को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । विवेचन निम्न प्रकार से रहा है– वादी के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 मौजा गुलाबपुरा द्वितीय पटवार हल्का हुरडा मंगरा तहसील हुरडा के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर– 711, 712, 713, 714	सहायक कलेक्टर (S. D. O.) गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

किता 4 रकबा 12 बीघा भूमि सलीम, सकील मोहम्मद इकबाल गुड्डू पिता अहय्या, अरीफ व शरीफ पिता अहय्या ना.बा. पिता संरक्षक पिता मेरुन बेवा अहय्या मु. हमीदा बेवा नसरु हीना पुत्री नसरु ना.बा. ब. बि. माता हमीदा बेवा नसरु सजनाबाद अज्जो पत्नि जुम्मन, जुम्मन, हमामूदीन पिता नबीब खां मुसलमान सा. देह मजरा सजनाबाद खातेदार दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है।

यहाँ वादी का कथन है कि आराजी मुतदाविया संयुक्त खातेदार कब्जेकाश्त की आराजीयात है प्रतिवादी संख्या– 1 के द्वारा बिना विभाजन कराये ही वादग्रस्त आराजीयात में से 711, 713, 714 को प्रतिवादी संख्या– 12 को बेचान कर दी है, जो विधि विरुद्ध है, और इसी बेचान नामा के आधार पर प्रतिवादी संख्या– 12 वादग्रस्त आराजीयात में दखलन्दाजी करता है। अपने कथनों की पृष्टि मे उनके द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.09.2014 को फोटो प्रति पत्रावली पर उपलब्ध कराई गई, जिस अनुसार प्रतिवादी संख्या– 1 इमामूदीन पिता नबीब खां मुसलमान निवासी सजनाबाद गुलाबपुरा के द्वारा वैभव जैन पिता रतन लाल जैन निवासी गांधी सागर शास्त्री नगर भीलवाडा को ग्राम गुलाबपुरा द्वितीय 711, 713, 714 कुल किता 3 रकबा 08 बीघा 13 बिस्वा भूमि में अपना हक हिस्सा बेचान किया जाना प्रकट आया है। चुँकि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात संयुक्त खातेदारी की अविभाजित आराजीयात है जिसमें प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच पर समान हक हिस्सा कब्जा माना गया है। ऐसी स्थिति मे प्रतिवादी संख्या– 1 के द्वारा वादग्रस्त आराजीयात की कौनसी भूमि किस तरफ की आराजीयात का बेचान प्रतिवादी संख्या– 12 को किया गया है यह स्पष्ट नही होता है यदि प्रतिवादी संख्या– 12 को नही रोका गया तो वह वादग्रस्त आराजीयात में दखलन्दाजी करता रहेगा तथा वादीगण को उनके हक हिस्से कब्जेकाश्त की आराजीयात से बेदखल कर अच्छी भूमि पर काबिज हो जायेगा तो अन्य खातेदार अच्छी जमीन से महरुम होकर उन्हें भारी असहनीय क्षति का सामना करना पडेगा । जिसे अनावश्यक मुकदमा बाजी को बढावा मिलेगा, जिहाजा दावा वादी खारिज किये जाने योग्य है।

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाडा)

" निर्णय"

दावा वादी खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें । निर्णय आज दिनांक 29.06.2018 को खुली अदालत में सूनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner